मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

FINANCE DEPARTMENT

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम

१९५७

THE MADHYA PRADESH CONTINGENCY FUND RULES 1957

१९६९ तक संशोधित

AMENDED UPTO 1969

[२३ जनवरी सन् १९५७ को राज्यपाल की अनुमत प्राप्त हुई और यह अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक २५ जनवरी, सन् १९५७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७, सन् १९५७

मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाये रखने के लिये व्यवस्था करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मन्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ कहलायेगा.

(२) यह राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होते ही तुरन्त प्रभावशील होगा.

परिभाषा.

२. इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विपरीत न हो, "निधि" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित की गई मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि से है.

आकस्मिकता निधि की स्थापना.

३. अग्रदाय के रूप से, "मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि" नामक एक निधि की स्थापना की जायगी जिसमें मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से (१) (X) * करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जायगा.

निधि की अभिरक्षा तथा उसमें से धन निकालना.

४. यह निधि राज्यपाल की ओर से शासन के वित्त विभाग के सचिव द्वारा धारण की जायगी और विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन राज्य के विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय का प्राधिकरण हो जाने तक अनवेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के आशयों के अतिरिक्त निधि में से कोई भी अग्रिम नहीं दिये जायेंगे.

नियम बनाने की शक्ति.

५. इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के आशय के लिये राज्य शासन निधि की अभिरक्षा, उसमें धनों के भुगतान और उसमें से धनों के निकालने से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने वाले नियम बना सकेगा.

निरसन तथा बचाव.

६. (१) मध्यप्रदेश कन्टिंजेन्सी फण्ड आर्डिनेन्स, १९५६ मध्यप्रदेश आकस्मिकतानिधि अध्यादेश, १९५६) (क्रमांक ५, सन् १९५६) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जायगी मानो यह अधिनियम उस दिनांक को प्रभावशील था जिसको कि ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्यवाही की गई थी.

*अधिसूचना दिनांक 02अगस्त,2006 द्वारा रू.100.00 करोड़ (रू.एक सौ करोड़ केवल)।

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७, सन् १९५७) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा उसमें धनों का संदाय करने तथा उसमें से धनों का प्रत्याहरण करने से संबंधित या उनसे समनुषक्त समस्त विषयों का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, १९५७

१. ये नियम मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, १९५७ कहलायेंगे.

२. इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "आकस्मिकता निधि" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७, सन् १९५७) के अधीन स्थापित की गई २ करोड़ रुपये की* "मध्यप्रदेश राज्य आकस्मिकता निधि" नामक अग्रदाय राशि जो कि मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा धारित की जायगी.

* रु.100.00 करोड़ (रु. एक सौ करोड़ केवल)

(ख) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश का राज्यपाल.

३. आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धन केवल ऐसे अनपेक्षित व्यय की, जो निर्विवाद रूप से आपाती स्वरूप का हो और जिसके लिये बजट में प्रावधान न किया गया हो, पूर्ति करने के लिये दिये जायेंगे या ऐसे मामलों में दिये जायेंगे जिनमें कि व्यय को स्थगित करना प्रशासनिक दृष्टि से असंभव हो, या जिसके स्थगित करने से लोक सेवा को गम्भीर असुविधा या गंभीर हानि अथवा नुकसान पहुंचता हो.

४. आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धनों के लिये समस्त आवेदनपत्र सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग को दिये जाने चाहिये. आवेदन पत्रों में निम्नलिखित बातें दी जायेंगी :—

(एक) अन्तर्ग्रलित अतिरिक्त व्यय की संक्षिप्त विशिष्टियां;

(दो) वे परिस्थितियां जिनमें प्रावधान को बजट में सम्मिलित न किया जा सका;

(तीन) वे कारण कि उसका स्थगित किया जाना क्यों सम्भव नहीं है;

(चार) आकस्मिकता निधि में से अग्रिम दी जाने के लिये अपेक्षित रकम, यथास्थिति उस वर्ष या उस वर्ष के भाग के लिये प्रस्ताव के पूरे वर्ष सहित;

(पांच) अनुदान या विनियोग जिसके कि अधीन प्रावधान अन्ततः किया जाना होगा; और

(छ) बचत के सम्बन्ध में विशिष्टियां जब कि किसी नवीन सेवा पर होने वाले व्यय की पूर्ति अनुदान के भीतर की निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा की जा सकती हो.

५. आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धन मंजूर करने संबंधी आदेश, जिसमें कि रकम का, उस अनुदान या विनियोग का, जिससे कि वह संबंधित हो, उल्लेख किया जायगा तथा व्यय की, जिसकी कि पूर्ति करने के लिये वह दिया गया हो, संक्षिप्त विशिष्टियां उपशीर्षों तथा विनियोग की इकाइयों के रूप में दी जायेंगी, वित्त विभाग द्वारा राज्यपाल के आदेश के रूप में जारी किया जायगा तथा संबंधित प्रशासनिक विभाग को और महालेखाकार, मध्यप्रदेश को संसूचित किया जायगा.

यदि किसी मामले में आकस्मिकता निधि में से अग्रिम धन मंजूर करने संबंधी आदेश नियम ५ के जारी कर दिया जाने के पश्चात् तथा नियम ८ या ९ के अनुसार कार्यवाही की जाने के पूर्व यह पता मंजूर किया गया अग्रिम धन पूर्णतः या अंशतः अनुपयोजित रहेगा, तो यथास्थिति मंजूरी रद्द करने या उसे उपान्तरित करने के लिये आवेदन मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को किया जायगा.

७. अग्रिम धन के अनुसार व्यय करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों द्वारा विभागाध्यक्षों को दी गई मंजूरियों में लेखाओं तथा वर्गीकरणों का उल्लेख उतने ही ब्यौरों के साथ किया जायगा जितने यम ५ में दिये गये हैं.

८. (१) इस प्रकार वित्त व्यवस्थित समस्त व्यय के यथास्थिति अनुपूरक अनुमान या लेखानुदान मंजूर किये जाने के ठीक पश्चात् विधान सभा के प्रथम सत्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे, जब ऐसा अग्रिम उप नियम (२) के उपबन्धों के अनुसार आकस्मिकता निधि में पुनर्ग्रहीत न किया गया हो जहां वित्त विभाग में अनुपूरक अनुदान/लेखानुदान को अंतिम रूप दिया जाने के पश्चात् आक- निधि से अग्रिम मंजूर किया गया हो, वहां इस प्रकार वित्त व्यवस्थित व्यय के संबंध में अनुमान सभा के समक्ष ठीक पश्चातवर्ती सत्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा.

(२) जैसे ही विधान सभा ने किसी अधिनियम के द्वारा प्रतिदिष्ट व्यय प्राधिकृत कर दिया हो स्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम या अग्रिमों को, भले ही वे विधान सभा में प्रस्तुत किये गये अनुमानों या उनके इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् किये गये व्यय को पूरा करने के लिये हों, अधिनियम म गये विनियोग की पूरी मात्रा तक निधि में पुनर्ग्रहीत किया जायगा.

९. किसी विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम में सम्मिलित की गई सेवा के लिये किये गये प्रावधान क हुए व्यय की पूर्ति करने के लिये आकस्मिकता निधि में से मंजूर किये गये समस्त अग्रिम धन, संपूर्ण लिये उस सेवा पर होने वाले व्यय, जिसमें कि आकस्मिकता निधि में से लिये गये अग्रिम धनों से पूरा गया अतिरिक्त व्यय सम्मिलित है, के संबंध में विनियोग अधिनियम के पारित होते ही आकस्मिकता में वापस ले लिये जायेंगे.

१०. (१) आकस्मिकता निधि में से लिये गये अग्रिम धनों की प्रतिपूर्ति के लिये प्राक्कलनों के वित्त विभाग को भेजने के लिये प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होगा, तथा प्राक्कलनों का स्पष्टीकरण वाली संक्षेपिका में निम्नलिखित आशय का एक टिप्पण जोड़ दिया जायगा :—

"..........................में आकस्मिकता निधि में से ....
रुपये की राशि अग्रिम दी गई है तथा उस निधि में दिया जाने वाला प्रति संदाय किया जा सकने के लिये उतनी ही रकम अपेक्षित है."

(२) वार्षिक वित्तीय विवरण में परिकल्पित न की गई "नवीन सेवा" पर होने वाले व्यय के मामलों स्मिकता निधि से दिया जाने वाला अग्रिम धन, मंजूर किये गये अनुदान के भीतर उस सीमा तक बचत प्य होते हुए भी, उस व्यय की पूर्ण सीमा तक होना चाहिये जो कि अनुपूरक अनुदान अभिप्राप्त होने न्त्र तक किया जाना हो, जो अनुपूरक अनुदान कि मंजूरी किये गये अनुदान में बचत के उपलब्ध होने में प्रतीक राशि के लिये होना चाहिये. अनुपूरक अनुदान का स्पष्टीकरण करनेवाला टिप्पण लिखित प्ररूप में होना चाहिये :—

"यह व्यय 'नवीन सेवा' पर होने वाला व्यय है. .... में आकस्मिकता
.....................रुपये को राशि अग्रिम दी गई है तथा उस निधि में किया जाने निसंदाय किया जा सकने के लिये उतनी ही रकम अपेक्षित है यह रकम अर्थात् ....
उक्त रकम का भाग अर्थात् ....रुपये अनुदान के भीतर बचत का पुनर्वि- करके प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है और अब केवल प्रतीक मत अपेक्षित है। अवशेष
..............रुपये के लिये मत अपेक्षित है."

११. अग्रिम धन वापस लेने संबंधी आदेश की एक प्रति, जिसमें उस आदेश के, जिसमें कि मूल अग्रिम धन दिया गया था, क्रमांक तथा तारीख के बारे में नियम ८ तथा ६ में निर्दिष्ट किये गये विनियोग अधिनियम के बारे में निर्देश दिया जायगा, वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश को अग्रेषित की जायगी.

१२. निधि के संव्यवहारों का लेखा इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 'क' में वित्त विभाग द्वारा रखा जायगा.

१३. उस व्यय के लिये, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम धन में से की गई हो, लेखा प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(एक) समस्त आहरण आफिसर आकस्मिकता निधि में से लिये गये अग्रिम धन में से पूरे किये जानेवाले व्यय के संबंध में पृथक् पृथक् बिल तैयार करेंगे और ऐसे समस्त बिलों के शिरोभाग पर रबड़ की मुहर से या लाल स्याही से ध्यानाकर्षक रूप में शब्द "आकस्मिकता निधि" अंकित किये जायेंगे. बिल में व्यय का ब्यौरे वार वर्गीकरण सामान्य बजट शीर्षों के अनुसार दिया जाना चाहिये.

(दो) व्यय का लेखा पृथक् से रखा जायगा और व्यय के नियंत्रण के लिये उसकी रिपोर्ट "आकस्मिकता निधि से पूरे किये गये व्यय" शीर्ष वाले विवरण में प्रति मास मुख्य नियंत्रक आफिसरों को दी जायगी. यह लेखा उन्हीं ब्यौरों के अनुसार रखा जायगा जिनके कि अनुसार उस व्यय का, जो कि मामूली बजट अनुदान से पूरा किया जाता है, लेखा रखा जाता है.

(तीन) आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम धन में से अन्तःकालीन रूप से पूरे किये गये व्यय की पूर्ति करने के लिये, प्राक्कलन में से निधियों के आवंटन संबंधी आदेश प्राप्त होते ही पृथक् बिलों से रकम निकालने की प्रक्रिया बन्द कर दी जायगी और व्यय को नियमित विभागीय लेखे में अन्तरित करके पृथक् लेखा बन्द कर दिया जायगा.

प्ररूप 'क'

(नियम १२ देखिये)

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि

निधि की रकम ....रुपये

क्रमांक	संव्यवहार की तारीख	अनुदान या विनियोग का क्रमांक तथा नाम	अग्रिम धन के लिये दिये गये आवेदन-पत्र का क्रमांक तथा तारीख	अग्रिम धन दिये जाने संबंधी आदेश का क्रमांक तथा तारीख	अग्रिम दी गई रकम	प्रत्येक अतिरिक्त व्यय के पश्चात विनियोग अधिनियम	अग्रिम धन की रकम जो कि वापिस ले ली गई हो	प्रत्येक संव्यवहार के पश्चात् अतिशेष	भारसाधक आफिसर के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)
					रु.		रु.	रु.		

टिप्पणी—(१) प्रत्येक संव्यवहार के पश्चात् अतिशेष निकाला जाना चाहिये.
(२) अग्रिम धनों की रकम, दी जाने पर काली स्याही से तथा वापस ली जाने पर लाल स्याही से दर्ज की जानी चाहिये.

5

IE MADHYA PRADESH CONTINGENCY FUND ACT, 1957.

(Madhya Pradesh Act No. VII of 1957)

ved the assent of the Governor on the 23rd January, 1957; assent
rst published in the Madhya Pradesh Gazette; Extraordinary on
e 25th January, 1957.]

ct to provide for the establishment and maintenance of the Constituency Fund of the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in Seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be cited as the Madhya Pradesh tingency Fund Act, 1957.

(2) It shall come into force immediately on its pubion in the Official Gazette of the State.

Definitions.

2. In this Act unless there is anything repugnant in subject or context, "the Fund" means the Contingency d of the State of Madhya Pradesh establish under ion 3.

Establishment of Contingency Fund.

3. There shall be established a Fund in the nature of imprest entitled "The Contingency Fund of the State Madhya Pradesh" into which shall be paid from and out he Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh um of two crores* of rupees.

Custody of Fund and withdrawal therefrom.

4. The fund shall be held on behalf of the Governor the Secretary to Government in the Finance Depart nt, and no advances shall be made out of the Fund, ept for the purposes of meeting unforeseen expenditure ding authorisation of such expenditure by the Legisla of the State under appropriation made by Law.

Power to make rules.

5. For the purpose of carrying out the objects of this the State Government may make rules regulating all tters connected with or ancillary to the costody of payt of moneys into, and the withdrawal of moneys from Fund.

Repeal and Savings.

6. (1) The Madhya Pradesh Contingency Fund dinance, 1956 (No. V of 1956), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the said Ordinance shall be deemed have been done or taken under this Act as if this Act e inforce on the date on which such thing was done or ion was taken.

---

*Substituted by Notification dated 02 Augest, 2006 Rs.100.00 cr. (Rs.One Hundred cr. only)

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (VII of 1957), the State Government are pleased to make the following rules for regulating all matters connected with or ancillary to the custody of, payment of moneys into, and the withdrawal of moneys from, the Contingency Fund of the State of Madhya Pradesh, namely :—

THE MADHYA PRADESH CONTINGENCY FUND RULES, 1957.

1. These Rules shall be called "The Madhya Pradesh Contingency Fund Rules, 1957".

2. In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Contingency Fund" means the imprest entitled "The Contingency Fund of the State of Madhya Pradesh" established under Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. VII of 1957) with a sum of rupees two crores which shall be held on behalf of the Governor of Madhya Pradesh by the Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Finance Department.

*Rs.100 [illegible] (Rs.One Hundred cr. only)

(b) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh. [illegible]

3. Advances from the Contingency Fund [illegible] only [illegible] emergent [illegible] cases in which the postponement of expenditure would be administratively impossible or serious inconvenience or serious loss or damage would be caused thereby to the public service.

4. All applications for advances from the Contingency Fund should be made to the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Finance Department. The applications shall give—

(i) brief particulars of the additional expenditure involved ;

(ii) the circumstances in which provision could not be included in the budget ;

(iii) the reasons why its postponement is not possible;

(iv) the amount required to be advanced from the contingency fund with full cost of the proposal for the year or part of the year, as the case may be ;

(v) the grant or appropriation under which provision will eventually have to be made ; and

(*vi*) the particulars of the savings when expenditure on a new service can be met by reappropriation of funds within the grant.

5. The order sanctioning an advance from the Contingency Fund, which shall specify the amount, the grant or appropriation to which it relates and give brief particulars by sub-heads and units of appropriation of the expenditure for meeting which it is made, shall be issued by the Finance Department as an order of the Governor and communicated to the Administrative Department concerned and to the Accountant-General, Madhya Pradesh.

6. If, in any case, after the order sanctioning an advance from the Contingency Fund has been issued in accordance with rule 5 and before action is taken in accordance with rule 8 or 9, it is found that the advance sanctioned will remain wholly or partly unutilised, an application shall be made to the sanctioning authority for cancelling or modifying the sanction, as the case may be.

7. Sanctions issued to the Heads of Departments by the Administrative Departments for incuring expenditure against the advance shall specify accounts classification in the same details as in rule 5.

8. (1) Supplementary estimates or Vote on Account, as the case may be, for all expenditure so financed, shall be presented to the Legislative Assembly at the first session meeting immediately after the advance is sanctioned unless such advance has been resumed to the Contingency Fund in accordance with the provision of sub-rule (2). Where, however, an advance from the Contingency Fund is sanctioned after the finalisation of the Supplementary Estimates/Vote on Account in the Finance Department, the estimate in respect of the expenditure so financed, may be presented to the Legislative Assembly at the session next after.

(2) As soon as the Legislative Assembly has authorised additional expenditure by means of an Act, the advance or advances made from the Contingency Fund whether for meeting the expenditure incurred before the estimates were presented to the Legislative Assembly or after they were so presented shall be resumed to the Fund to the full extent of the Appropriation made in the Act.

9. All advances sanctioned from the Contingency Fund to meet expenditure in excess of the provision for the service included in an Appropriation (Vote on Account) Act shall be resumed to the Contingency Fund as soon as the Appropriation Act in respect of the expenditure on the service for the whole year including the excess

met from the advances from the Contingency Fund, has been passed.

10. (1) The Administrative Department shall be responsible for sending to Finance Department the proposals for estimates in recoupement of advances from the Contingency Fund and, in the precies explaining the estimates, a note to the following effect shall be appended :—

"A sum of Rs.   has been advanced from the Contingency Fund in .... and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund".

(2) In case of expenditure on a 'new service' not contemplated in the Annual Financial Statement, advance from the Contingency Fund, despite savings to the extent being available within the sanctioned grant, should be to the full extent of the expenditure to be incurred up to the date of obtaining the Supplementary Grant, which should be for a token sum when savings are available in the sanctioned grant. The note explaining the Supplementary Grant should be in the following form :—

"The expenditure is on a 'new service'. A sum of Rs. .... has been advanced from the Contingency Fund in .... and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund. The amount, *viz.*, Rs. .... A part of the amount, *viz.*, Rs. .... can be found by re-appropriation of savings within the grant and a token vote only is now required/A vote is required for the balance, *viz.*, Rs. ....".

11. A copy of the order resuming the advance which shall give a reference to the number and date of the order in which the original advance was made and to the Appropriation Act referred to in rules 8 and 9 shall be forwarded by the Finance Department to the Accountant-General, Madhya Pradesh.

12. An account of the transactions of the Fund shall be maintained by the Finance Department in Form A annexed to these rules.

13. The accounting procedure for expenditure met out of advance from the Contingency Fund shall be as follows :—

(*i*) All drawing officers shall prepare separate bills in respect of expenditure to be met out of the

advance from the Contingency Fund and all such bills shall be labelled conspicuously on top "Contingency Fund" by using a rubber stamp or by writing in red ink. Detailed classification of the expenditure in the bill should be given according to the usual budget heads.

(*ii*) Account of the expenditure shall be maintained separately and reported to the Chief Controlling Officers monthly for control of expenditure in a statement headed "Expenditure met from the Contingency Fund". The account shall be maintained in the same details as for expenditure met from the ordinary budget grant.

(*iii*) As soon as orders received allotting funds out of the estimate to meet the expenditure provisonally met from an advance from the Contingency Fund, the procedure of drawing of separate bills shall be discontinued as the separate account shall be closed by transferring the expenditure to the regular departmental account.

FORM A

(*See* rule 12)

Madhya Pradesh Contingency Fund

Amount of the Fund Rs...............................

Serial No.	Date of transaction	No. and name of grant or appropriation	No. and date of the application for advance	No. and date of the order making the advance	Amount advanced	Appropriation Act after each additional expenditure	Amount of advance resumed	Balance after each transaction	Initals of Officer-in-charge	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Rs.		Rs.	Rs.		

Notes.—(1) The balance should be struck after each transaction.

(2) The amount of the advances should be entered in black ink when made and in red ink when resumed.

डाक-व्यय के पूर्व-प्रदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल—505/डब्ल्यू. पी.

पंजीयन क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अक्टूबर 1980—आश्विन 24, शके 1902

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १५ अक्टूबर १९८०

क्र. ३२१९२-इक्कीस-अ (प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १० अक्टूबर, १९८० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिव नारायण जौहरी, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् १९८०

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९८०

[दिनांक १० अक्टूबर, १९८० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १६ अक्टूबर, १९८० के प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९८० है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) में शब्द "बीस करोड़" के स्थान पर शब्द "चालीस करोड़" स्थापित किये जायें. धारा 3 का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 1980

क्र. 32193-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 12 सन् 1980) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण जोहरी, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 12 of 1980.

THE MADHYA PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1980.

[Received the assent of the Governor on the 10th October, 1980, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 16th October, 1980.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1980.

Amendment of section 3. 2. In section 3 of the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. 7 of 1957), for the words "twenty crores", the words "forty crores" shall be substituted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1980

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2006—श्रावण 11, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २ अगस्त २००६

क्र. ४५६५-२९०-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक २९ जुलाई, २००६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्‌द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २० सन् २००६.

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, २००६.

[दिनांक २९ जुलाई, २००६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २ अगस्त, २००६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, २००६ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) की धारा ३ में, शब्द "चालीस करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक सौ करोड़ रुपये" स्थापित किए जाएं. **धारा ३ का संशोधन.**

भोपाल, दिनांक २ अगस्त २००६

क्र. ४५६६-२९०-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, २००६ (क्रमांक २० सन् २००६) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2006.

THE MADHYA PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2006.

[Received the assent of the Governor on the 29th July, 2006; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 2nd August, 2006.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-Seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Contingency Fund (Amendment), Act, 2006.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. 7 of 1957), for the words "fourty crores of rupees", the words "one hundred crores rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.